

- निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा-14(4) राजस्थान भू- राज0 अधिनियम, आवंटन नियम 1970 आवंटन
निरस्ती हेतु। प्रकरण संख्या 03/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.2018	पत्रावली बाद जांच पेश हुई जिसे पंजीबद्ध किया गया। निगराकार मय अधिवक्ता उपस्थित। गैर निगराकार को तारीख पेशी के नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जावे। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत करने जवाब दिनांक 30/04/2018 को पेश हो।	
30/4/2018	पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित। पीतासीन अधिकारी जी. राजकीय दफ्तर है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 21/5/2018 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
21/5/18	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक सस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 11/6/18... को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
11-6-18	पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित। पीतासीन अधिकारी जी. दीगाट का. म. व्यस्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 12/6/18.....को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
12/6/2018	प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी मय आवजूद तामील अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपण बहस एक लेटमा सुनी गई। वकील (अप्रार्थी) राजकीय अभिभाषक का कहना है कि	

अपार्थी संघ को भूमिपूरी तहसीलद्वारा बिलौलिया
द्वारा आक्टिव भूमिका नामां सही दर्ज किया है।
आवंत सलाहकार समिति के द्वारा विधिवत
आवंत किया है। अतः अपार्थी का प्राथनापत्र
वारंटिज फलमाया जावे।

हमारे राजकीय अभिभाषक को सुनार एवं
पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्राथनापत्र के
तथ्यों के तथ्यों के अध्ययन पर हम इस निष्कर्ष
पर पहुँचते हैं कि अपार्थी संघ को आवंटन सलाहकार
समिति द्वारा मजमे आम में विधिवत आवंटन किया
है। स्वयं अपार्थी ने 21 दि 25/12/2018 को उपस्थित
होकर प्राथनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
वादीवत भूमि अपार्थी की है मेरी जमीन पर अपार्थी
का कब्जा नहीं है मैं कार्यवाही नहीं चाहता हूँ।
अतः अपार्थी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहते है अपार्थी
का प्राथनापत्र वारंटिज किया जा रहा है। पत्रावली
के सल सुमार डेकर भव ले कम हो।

जिला कलेक्टर, भिलवाड़ा